

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 35 (23) चिस्वा/ग्रुप-3/2018

जयपुर, दिनांक

12 OCT 2018

: आदेश :

निदेशालय के आदेश क्रमांक 873/17.09.18, 874/17.09.18, 875/17.09.18, 876/17.09.18, 884/21.09.18, 82/28.09.18, 83/04.10.18, 84/04.10.18, 85/05.10.18, 86/05.10.18, 87/05.10.18, 88/05.10.18, 89/05.10.18, 90/05.10.18 के द्वारा कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरित स्थान से कार्यमुक्त करने एवं नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ 3(1)(9) I/ Elect./2018/6965 दिनांक 08.10.2018 के क्रम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशांषा पर मुख्य सचिव कार्यालय की आई0डी0 क्रमांक 5784/सीएस/2018 दिनांक 11.10.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

*SA*  
(अजय असवाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय/राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
7. प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, स्वास्थ्य भवन।
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
10. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. संबंधित अधिकारी।
14. कम्प्यूटर सैल।
15. निजी/रक्षित पत्रावली।

*SA*  
22/10/18  
सहायक शासन सचिव